भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254817 SG-DL-E-19062024-254817

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2024/ज्येष्ठ 29, 1946

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 74

No. 157]

DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2024/JYAISHTHA 29, 1946

[N. C. T. D. No. 74

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION CORRIGENDUM

Delhi, the 19th June, 2024

No. F. 3/1/2007/Trg.Admn./DTTE/P.F./550.—In partial modification to earlier notification No.F.3/1/2007/Trg. Admn./DTTE/P.F./504 dated 07/06/2024 (in English version) S. No. at front page may be read as under:

S.No. mentioned in Notification dated 07/06/2024	S.No. now may be read as under	
Short title and commencement:- (i) These rules	1. Short title and commencement:- (i) These rules	
(ii) They shall Official Gazette.	(ii) They shall Official Gazette.	
Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number	2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number attached thereto.	
1. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method said schedule.	3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method said schedule.	
2. Disqualifications:- No person,	4. Disqualifications:- No person,	

(a) Who has living, or	(a) Who has
(b) Who having said posts:	living, or (b) Who having said posts:
Provided that these rules.	Provided thatthese rules.
3. Power to relax:- Where theof person.	5. Power to relax:- Where theof person.
6. Saving:- Nothing in this regard.	6. Saving:- Nothing in this regard.

Rest of the contents of earlier notification No.F.3/1/2007/Trg. Admn./DTTE/P.F./504 dated 07/06/2024 will remain unchange.

BHUPESH CHAUDHARY, Director (TTE)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08062024-254626 SG-DL-E-08062024-254626

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 64

No. 147]

DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

[N. C. T. D. No. 64

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2024

फा. सं. 3/1/2007/प्रशि.प्रशा./डीटीटीई/पा.फा./504—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. एस0ओ० 3532 के साथ पिठत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक 26.07.1989 की अधिसूचना सं. फा. 3/1/87/प्रशि०/प्रशा० एवं दिनांक 19.08.1981 की अधिसूचना सं० फा० 2(67)/75—एस.II/खंड 1 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल)/उप—प्रधानाचार्य/प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक/औद्योगिक संपर्क अधिकारी—सह—प्रभारी अधिकारी/प्रशिक्षण अधिकारी/प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी/विरष्ठ सर्वेक्षक के पद की भर्ती पद्धित के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियमों को प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल) / उप-प्रधानाचार्य / प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक / औद्योगिक संपर्क अधिकारी—सह—प्रभारी अधिकारी / प्रशिक्षण अधिकारी / प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी / विरष्ठ सर्वेक्षक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

- (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :-ऐसा कोई भी व्यक्ति
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, तो वह किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्ति के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव:— इन नियनों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1	2	3	4	5
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है
प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल) / उप—प्रधानाचार्य / प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक / औद्योगिक संपर्क अधिकारी —सह—प्रभारी अधिकारी / प्रशिक्षण अधिकारी / प्रशिक्षण मूल्यांकन अधिकारी / वरिष्ठ सर्वेक्षक	23*(2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्मर। अभ्युक्तिः * प्रधानाचार्य (जूनियर स्केल)-2 / उप-प्रधानाचार्य-13 / प्रशिक्षण सहायक निरीक्षक-3 / औद्योगिक संपर्क अधिकारी-सह-प्रभारी अधिकारी-1 / प्रशिक्षण अधिकारी-2 / प्रशिक्षण मृत्यांकन अधिकारी-1 / वरिष्ठ सर्वक्षक-1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय राजपत्रित, समूह क	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—10 (रुपये 56100—177500 / —)	चयन पद

6	7	8	9	10
सीधी भर्ती वाले	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों	क्या सीधी भर्ती	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति
उम्मीदवारों के लिए	के लिए शैक्षिक तथा अन्य	वाले उम्मीदवारों		सीधी भर्ती द्वारा या
आयु सीमा	योग्यता	के लिए निर्धारित	7 16	पदोन्नति द्वारा या
		शैक्षिक योग्यता		प्रतिनियुक्ति /
	5	एवं आयु सीमा		समावेशन द्वारा
		पदोन्नति वाले	S S	तथा विभिन्न
	~	उम्मीदवारों पर भी	8	पद्धतियों से भरे
	5	लागू होगी।	180	जाने वाले रिक्त
				पदों का प्रतिशत
35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य :	आयु- लागू नहीं	02 वर्ष (पदोन्नति और	75 प्रतिशत
(केन्द्रीय सरकार द्वारा	योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त	शैक्षिक योग्यता—	सीधी भर्ती वाले	–पदोन्नति द्वारा
जारी आदेशों या	विश्वविद्यालय / संस्थान से	लागू नहीं	उम्मीदवारों के लिए)	25 प्रतिशत
अनुदेशों के अनुसार	इंजीनियरिंग / प्रौदयोगिकी में		टीप : सीधी भर्ती वाले	–सीधी भर्ती द्वारा
सरकारी कर्मचारियों के	डिग्री।	36.	उम्मीदवारों को परिवीक्षा	
लिये 5 वर्ष तक	अनुभव :संबंधित इंजीनियरिंग		पूरी करने के लिए	
शिथिलनीय।)	विषय में तीन वर्षों का पेशेवर		सक्षम प्राधिकारी द्वारा	9-
टीप : आयु सीमा	अनुभव।		यथानिर्धारित दो से चार	= 2 ³ 0 × 3
निर्धारण हेतु निर्णायक	या		सप्ताह की अवधि का	
तिथि संघ लोक सेवा	किसी मान्यता प्राप्तं संस्थान में		अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण	E
आयोग द्वारा	तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव।		सफलतापूर्वक पूरा	
यथाविज्ञापित होगी।	टीप 1 : अन्यथा सुयोग्य		करना अपेक्षित होगा।	
	उम्मीदवारों के मामले में		a a same same	
	कारणों को लिखित में			
	अभिलेखबद्ध करते हुए		-	**
	योग्यताएं संघ लोक सेवा			
	आयोग के विवेक पर			
2	शिथिलनीय हैं।			
50		8		
	टीप 2 : यदि चयन की किसी			
	अवस्था में संघ लोक सेवा			
	आयोग के अभिमत से		e e	
	अनुसूचित जातियों अथवा		380	
	अनुसूचित जनजातियों के लिए			
V a	आरक्षित रिक्त पदों को भरने		10	
9 4	के लिए अपेक्षित अनुभव रखने		15	
	वाले इन समुदायों के			
	उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में	-		
	मिलने की संभावना नहीं है, तो			
	अनुभव संबंधी योग्यता			
	(योग्यताएं) कारणों को			21
	अभिलेखबद्ध करते हुए संघ		(8)	2
	लोक सेवा आयोग के विवेक		×	
	पर शिथिलनीय हैं।			20 8
	0000 000 00 to \$0.0	1		

11	12	13
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 20 2 4 2 2	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
पदोन्नतिः 1.नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर—7 (रुपये 44900—142400/—)में समूह अनुदेशक/सर्वेक्षक/सहायक शिक्षुता सलाहकार (कनिष्ठ)/अनुदेशक (एवीटीएस)। टीप 1:पदोन्नति पाने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में कम से कम कोई डिप्लोमा होना चाहिए। टीप 2: संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि से न्यमित	विभागीय पदोन्नित समिति 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार (अध्यक्ष) 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. सचिव प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसरकार (सदस्य) विभागीय स्थायीकरण समिति 1.मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन,दिल्ली (अध्यक्ष) 2.विभाग का प्रशासनिक सचिव (सदस्य) 3.संबंधित विभागाध्यक्ष (सदस्य)	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक है।
आधार पर भरक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा 03 वर्ष तक जारी रहेगी। टीप 3: पदोन्नित के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड/पद में निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूर्ण होने की तिथि के संदर्भ में तैयार की जाएगी।		
टीप 4—जिन किनष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर लो है; वे पदोन्नित के लिए विचारणीय हैं। उनके विरष्ट अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशतें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथव दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हे तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पप्दोन्नित के लिए अपनी गरिवीक्ष अविध अपने किनष्ट अधिकारियों व साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेव पहले ही पूरी कर ली है।		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर आर. एलिस वाज, सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 7th June, 2024

No. F. 3/1/2007/Trg. Admn./DTTE/P.F./504.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of Notification No. F.3/1/87/Trg./Admn. Dated 26.07.1989 and notification No. F.2(67)/75-S.II/Vol.1 dated 19.08.1981 issued by this Government except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Principal (Jr. Scale)/Vice Principal/Assistant Inspector of Training/Industrial Liaison Officer-cum-Officer Incharge/ Training Officer/ Training Evaluation Officer/ Senior Surveyor in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

Short title and commencement:- (i) These rules may be called the Principal (Jr. Scale)/Vice Principal/Assistant Inspector of Training/Industrial Liaison Officer-cum-Officer Incharge/ Training Officer/ Training Evaluation Officer/ Senior Surveyor Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix: The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

- Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 2. Disqualifications:- No person,
 - (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 3. Power to relax:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.
- 6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5
Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non Selection Post
Principal (Jr. Scale)/ Vice Principal/ Assistant Inspector of Training/ Industrial Liaison Officer-cum-Officer Incharge/ Training Officer/ Training Evaluation Officer/ Senior Surveyor	23* (2024) * Subject to variation dependent on workload Remark: * Principal (Jr. Scale)-2/ Vice Principal-13/ Assistant Inspector of Training-3/ Industrial Liaison	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted Group, A	Level-10 (Rs. 56100 - 177500/-) in the Pay Matrix	Selection Post

Officer-cum-Officer	
Incharge-1/	
Training Officer-2/	
Training Evaluation	
Officer-1/	
Senior Surveyor-1	

6	7	8	9	10
Age limits for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.	/Institute. Experience: Three years professional experience in the concerned Engineering discipline; or Three years teaching experience in a recognized institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing, in the case of		2 years (for promotees and direct recruits) Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of two to four weeks duration as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	By promotion- 75% By Direct Recruitment - 25%

11	12	13
In case of recruitment By promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
Promotion: 1.Group Instructor/Surveyor/ Assistant Apprenticeship Advisor(Junior)/Instructor (AVTS) in Level-7 (Rs. 44900-142400/-) of pay matrix with 05 years service in the grade rendered after appointment thereto on	Departmental Promotion Committee 1. Chairman or member of UPSC, Govt. of India (Chairman) 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi (Member)	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

regular basis

Note 1: The promotees must possess at least a Diploma in Engineering/Technology from a recognized University / Institution.

Note 2: The eligibility service shall continue to be 03 years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

Note 3: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade / post.

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service

3. Secretary, Training and Technical Education, GNCT of Delhi (Member)

Departmental Confirmation Committee

- 1. Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi (Chairman)
- 2. Administrative Secretary of the Department (Member)
- Head of Department concerned (Member)

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.